



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 25 अक्टूबर, 2021

कार्तिक 3, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1

संख्या 412/59-1-2021

लखनऊ, 25 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

स०प०नि०-75

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) की धारा 10 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 37 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, एतद्वारा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" और "ख") सेवा विनियमावली, 2005 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:-

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" और "ख") सेवा (द्वितीय संशोधन)
विनियमावली, 2021

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" और "ख") सेवा संक्षिप्त नाम और (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" और "ख") सेवा विनियमावली, 2005, विनियम 3 का संशोधन जिसे आगे "उक्त विनियमावली" कहा गया है, में विनियम 3 में, खण्ड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(ड० ड०) - "आयोग" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग" से है,

विनियम 6 का
संशोधन

3-उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

6-आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

6-आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।

विनियम 10 का
संशोधन

4-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

10. आयु-सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें अभ्यर्थियों के मामले में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

10. आयु- सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष, जिसमें भर्ती की जानी हो, में, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायें तो 01 जनवरी को और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायें तो 01 जुलाई को न्यूनतम इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, के अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

विनियम 14 का
संशोधन

5-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

14-रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित करायगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

14-रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

6-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:

(एक) मुख्य कार्यपालक अधिकारी - अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी से भिन्न एक अधिकारी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा।

-सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का अधिकारी होगा।

-सदस्य

(चार) अधिष्ठान का प्रभारी सदस्य अधिकारी जो वरिष्ठ प्रबन्धक से निम्न स्तर का न हो

-सदस्य

(पांच) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक तकनीकी अधिकारी

-सदस्य

(छः) सरकार के कार्मिक विभाग का सचिव व उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का हो

-सदस्य

(सात) खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के राज्य कार्यालय का एक प्रतिनिधि

-सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इस लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र होंगे। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के प्रश्न-पत्र दो प्रतियों में (एक कार्बन कापी) दिये जायेंगे जिससे अभ्यर्थी एक प्रति अपने पास रख सके। अटकलबाजी को रोकने के लिए ऋणात्मक अंक पद्धति अपनायी जायेगी। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रश्न-पत्रों के उत्तर तथा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समाचार-पत्रों में विज्ञापित कराये जायेंगे और उन्हें सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

चूंकि लिखित परीक्षा ली जायेगी, अतएव किसी विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित अर्हता से उच्चतर अर्हता रखने पर कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिये जायेंगे। तदनुसार चयन हेतु अंको का विभाजन निम्नवत् होगा-

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित निदर्शन पत्र में आमन्त्रित किये जायेंगे।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र धारित न कर ले।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् आयोग, विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, सिफारिश करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

(एक) न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा (जैसे इण्टरमीडिएट) में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांको का 30 प्रतिशत अंक।

(दो) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के लिए 40 प्रतिशत अंक।

(तीन) छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत अंक होंगे, जो प्रतिवर्ष की पूरी सेवा के लिए 5 अंक के आधार पर आगणित किये जायेंगे। उदाहरणार्थ यदि किसी छटनीशुदा कर्मचारी ने पूरे वर्ष की सेवा की है तो उसे 5 अंक प्राप्त होंगे और यदि दो वर्ष की सेवा की है तो उसे 10 अंक प्राप्त होंगे।

(चार) खेल-कूद के लिए 5 प्रतिशत अंक निम्न प्रकार से दिया जायेगा :-

(क) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुरुष	5 प्रतिशत
खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी के लिए	अंक
(ख) राष्ट्रीय स्तर का पुरुष	4 प्रतिशत
खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी के लिए	अंक
(ग) राज्य स्तर के पुरुष	3 प्रतिशत
खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी के लिए	अंक
(घ) विश्वविद्यालय/महा	2 प्रतिशत
विद्यालय/विद्यालय स्तर के पुरुष	अंक
खिलाड़ी/ महिला खिलाड़ी के लिए	

(पांच) 10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए होंगे, जिनका विभाजन निम्नवत् होगा-

(क) 4 प्रतिशत अंक विषय/सामान्य ज्ञान के लिए।

(ख) 3 प्रतिशत अंक व्यक्तित्व के लिए।

(ग) 3 प्रतिशत अंक अभिव्यक्ति की क्षमता के लिए

(छ:) लिखित परीक्षा के बाद उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दु एक से चार तक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के लिए एक योग्यता सूची बनायी जायेगी। तत्पश्चात् योग्यता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के लिए 4 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

(सात) साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष व सभी सदस्य उपरोक्तानुसार वर्गीकरण के आधार पर अंक देंगे। साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों में साक्षात्कार समिति के सदस्यों द्वारा पृथक रूप से दिये गये अंकों को जोड़कर उनकी संगणना की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार समिति को उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे, जिससे साक्षात्कार समिति अभ्यर्थी के बारे में पूर्वधारणा न बना सके।

(आठ) साक्षात्कार के उपरान्त परन्तु चयन का परिणाम घोषित होने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

स्तम्भ-1**विद्यमान विनियम**

(2) यदि कोई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया उसके दस्तावेज तथा दिये गये अंको का निरीक्षण करना चाहता है तो निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेजों की फोटोप्रति चाहता है तो वह 5.00 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क जमा करके उक्त फोटोप्रति प्राप्त कर सकता है।

(4) (1) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो चयन समिति उनकी जन्मतिथि के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रतीक्षा सूची में योग्यता क्रम के अनुसार नामों की कुल संख्या रिकित्तियों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत होगी। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों की तैयार की गयी सूची, चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

7-उक्त विनियमावली में, विनियम 20 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

विनियम 20 का संशोधन

“परन्तु यह कि उपरोक्त उपबन्धों के अध्यक्षीन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991, ऐसे पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति के लिये भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।”

8-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

विनियम 21 का संशोधन

स्तम्भ-1**विद्यमान विनियम**

21. ज्येष्ठता-(1) एतदपश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा में पदों की किसी श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो, अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक से विनिर्दिष्ट किया जाय, जब से किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति की जानी हो तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

परन्तु यह और कि यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं, तो ज्येष्ठता वही होगी जो विनियम-18 के उप विनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम****एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम**

21. ज्येष्ठता- किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

स्तम्भ-1
विद्यमान विनियम

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह विद्यमान कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) किसी एक चयन के परिणाम पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया था।

(4) जहां नियुक्ति पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों ही प्रकार से यह एक से अधिक स्रोत से की जाय और स्रोतों का अपना कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता विनियम-17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में, चक्रानुक्रम से उनके नाम रख कर ऐसी रीति से अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे, परन्तु-

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाय, वहां कोटे से अधिक नियुक्त किये गये व्यक्तियों को, ज्येष्ठता के लिए उस अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हो नीचे ले जाया जायेगा।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम हो और ऐसी न भरी न गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाय, वहां इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, किन्तु ऐसे वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, तथापि उस वर्ष की संयुक्त सूची में जो इस विनियम के अधीन तैयार की जायेगी, उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे जिसके बाद नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

विनियम 24 का
संशोधन

9-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 24 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान विनियम

24-दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड-

(1) किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

निकाल दिया गया

10-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान परिशिष्ट-“क” के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्:- परिशिष्ट “क” का संशोधन

**परिशिष्ट-‘क’
(विनियम 4 और 22 देखिये)**

स्तम्भ-1							स्तम्भ-2						
वर्तमान परिशिष्ट							एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट						
क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी	क्र० सं०	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पदों की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी
			स्थायी	अस्थायी	योग					स्थायी	अस्थायी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
समूह-‘क’ के पद							समूह-‘क’ के पद						
1	ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	12000-375-16500 रूपये	0	1	1	बोर्ड	1	ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	रू० 78800-209200 (लेवल-12)	0	1	1	बोर्ड
2 (एक)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10000-325-15200 रूपये	1	3	4	बोर्ड	2 (एक)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	रू० 67700-208700 (लेवल-11)	1	4	5	बोर्ड
(दो)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण)	10000-325-15200 रूपये	0	1	1	बोर्ड	(दो)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण)	रू० 67700-208700 (लेवल-11)	0	1	1	बोर्ड
(तीन)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन)	10000-325-15200 रूपये	0	1	1	बोर्ड	(तीन)	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन)	रू० 67700-208700 (लेवल-11)	0	1	1	बोर्ड
3	प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	10000-325-15200 रूपये	0	3	3	बोर्ड	3	प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	रू० 67700-208700 (लेवल-11)	0	3	3	बोर्ड
4	मुख्य रसायनज्ञ	10000-325-15200 रूपये	0	2	2	बोर्ड	4	मुख्य रसायनज्ञ	रू० 67700-208700 (लेवल-11)	0	2	2	बोर्ड
5	औद्योगिक परामर्शदाता	रू० 5000 संकलित	0	2	2	बोर्ड	5	निकाल दिया गया					
समूह-‘ख’ के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग							समूह-‘ख’ के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग						
1	विशेष कार्यधिकारी (कम्प्यूटर)	8000-275-13500 रूपये	0	1	1	मु.का. अ.	1	विशेष कार्यधिकारी (कम्प्यूटर)	रू० 56100-177500 (लेवल-10)	0	1	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2 (एक)	सहायक निदेशक उद्योग (खादी विकास)	8000-275-13500 रूपये	1	0	1	मु.का. अ.	2 (एक)	सहायक निदेशक उद्योग (खादी विकास)	रू० 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
(दो)	सहायक निदेशक उद्योग(कम्बल योजना)	8000-275-13500 रूपये	1	0	1	मु.का. अ.	(दो)	सहायक निदेशक उद्योग (कम्बल योजना)	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(तीन)	सहायक निदेशक उद्योग (चर्म विकास योजना)	8000-275-13500 रूपये	1	0	1	मु.का. अ.	(तीन)	सहायक निदेशक उद्योग (चर्म विकास योजना)	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(चार)	सहायक निदेशक उद्योग (हाथ कागज योजना)	8000-275-13500 रूपये	1	0	1	मु.का. अ.	(चार)	सहायक निदेशक उद्योग (हस्त निर्मित कागज योजना)	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3	ज्येष्ठ प्रबन्धक	8000-275-13500 रूपये	0	12	12	मु.का. अ.	3	ज्येष्ठ प्रबन्धक	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	0	12	12	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
4	सह निबन्धक (सहकारिता)	8000-275-13500 रूपये	1	0	1	मु.का. अ.	4	सहायक निबन्धक (सहकारिता)	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ख) लेखा संवर्ग							(ख) लेखा संवर्ग						
	सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग	8000-275-13500 रूपये	1	0	1	मु.का. अ.		सहायक वित्तीय नियंत्रक (उद्योग)	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ग) पयोगशाला संवर्ग							(ग) प्रयोगशाला संवर्ग						
	रसायनज्ञ	8000-275-13500 रूपये	0	2	2	मु.का. अ.		रसायनज्ञ	रु0 56100-177500 (लेवल-10)	0	2	2	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अधीनस्थ समूह-‘ख’ के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग							अधीनस्थ समूह-‘ख’ के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग						
	प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग)/ ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम)	6500-200-10500 रूपये	3	36	39	मु.का.अ.		प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग)/ ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम)	रु0 44900-142400 (लेवल-7)	3	36	39	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ख) प्रशिक्षक संवर्ग							(ख) प्रशिक्षक संवर्ग						
(एक)	प्रशिक्षक (खादी)	6500-200-10500 रूपये	0	7	7	मु.का.अ.		(एक)प्रशिक्षक (खादी)	रु0 44900-142400 (लेवल-7)	0	7	7	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(दो)	प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन)	6500-200-10500 रूपये	0	6	6	मु.का.अ.		(दो)प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन)	रु0 44900-142400 (लेवल-7)	0	6	6	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
(तीन)	प्रशिक्षक (रेशा)	6500- 200- 10500 रूपये	0	3	3	मु.का.अ.		(तीन)प्रशिक्षक (रेशा)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	3	3	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(चार)	प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल)	6500- 200- 10500 रूपये	0	6	6	मु.का.अ.		(चार)प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	6	6	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(पांच)	प्रशिक्षक (मधमुक्खी पालन)	6500- 200- 10500 रूपये	0	7	7	मु.का.अ.		(पांच) प्रशिक्षक (मधमुक्खी पालन)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	7	7	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(छः)	प्रशिक्षक (कुम्हारी)	6500- 200- 10500 रूपये	0	2	2	मु.का.अ.		(छः) प्रशिक्षक (कुम्हारी)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	2	2	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(सात)	प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती)	6500- 200- 10500 रूपये	0	3	3	मु.का.अ.		(सात) प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	3	3	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(आठ)	प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण)	6500- 200- 10500 रूपये	0	3	3	मु.का.अ.		(आठ) प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	3	3	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(नौ)	प्रशिक्षक (लोहारी/ बढ़ईगिरी)	6500- 200- 10500 रूपये	0	3	3	मु.का.अ.		(नौ) प्रशिक्षक (लोहारी/ बढ़ईगिरी)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	3	3	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(दस)	प्रशिक्षक (खाद्य संरक्षण)	6500- 200- 10500 रूपये	0	2	2	मु.का.अ.		(दस) प्रशिक्षक (खाद्य संरक्षण)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	2	2	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ग्यारह)	प्रशिक्षक (बांस और बेत)	6500- 200- 10500 रूपये	0	1	1	मु.का.अ.		(ग्यारह) प्रशिक्षक (बांस और बेत)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	1	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(बारह)	प्रशिक्षक (कम्बल)	6500- 200- 10500 रूपये	0	1	1	मु.का.अ.		(बारह) प्रशिक्षक (कम्बल)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	1	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(तेरह)	प्रशिक्षक (चर्म)	6500- 200- 10500 रूपये	0	1	1	मु.का.अ.		(तेरह) प्रशिक्षक (चर्म)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	1	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(चौदह)	प्रशिक्षक (हाथ कागज)	6500- 200- 10500 रूपये	0	1	1	मु.का.अ.		(चौदह) प्रशिक्षक (हस्त निर्मित कागज)	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	0	1	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ग) ताड़ गुड़ संवर्ग							(ग) गुड़/ताड़ गुड़ संवर्ग						
1	गुड़ विकास अधिकारी	6500- 200- 10500 रूपये	1	0	1	मु.का.अ.	1	गुड़ विकास अधिकारी	रू0 44900- 142400 (लेवल-7)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
2	ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी	6500-200-10500 रूपये	1	0	1	मु.का.अ.	2	ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी	रु0 44900-142400 (लेवल-7)	1	0	1	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(घ) लेखा संवर्ग							(घ) लेखा संवर्ग						
	सहायक लेखा अधिकारी	6500-200-10500 रूपये	0	2	2	मु.का.अ.		सहायक लेखा अधिकारी	रु0 44900-142400 (लेवल-7)	0	2	2	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

परिशिष्ट "ख" का संशोधन 11-उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट-"ख" के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

परिशिष्ट-"ख"
(विनियम 5 और 8 देखिये)

स्तम्भ-1				स्तम्भ-2			
वर्तमान परिशिष्ट				एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट			
क्र0 सं0	पद का नाम	भर्ती का स्रोत	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता	क्र0 सं0	पद का नाम	भर्ती का स्रोत	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4	1	2	3	4
समूह-"क" के पद				समूह-"क" के पद			
1	ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य रसायनज्ञ, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		1	ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य रसायनज्ञ, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
2	(एक) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक, सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग और सहायक निदेशक उद्योग, सह निबन्धक (सहकारिता) एवं विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		2	(एक) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक, सहायक वित्तीय नियंत्रक, उद्योग और सहायक निदेशक उद्योग, सह निबन्धक (सहकारिता) एवं विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर), जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
	(दो) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण)	मौलिक रूप से नियुक्त प्राचार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में से, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।			(दो) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रशिक्षण)	मौलिक रूप से नियुक्त प्राचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
	(तीन) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन)	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक और सहायक निदेशक उद्योग में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।			(तीन) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (विपणन)	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ प्रबन्धक और सहायक निदेशक उद्योग, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	

1	2	3	4	1	2	3	4
3	प्राचाये, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	(क) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। (ख) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	अनिवाये-1-स्नातक उपाधि, 2-सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं का प्रबन्ध या प्रशासन का पांच वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हता-1-उद्यमियों को प्रशिक्षण और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र के संगठित करने और स्थापित करने में मार्गदर्शन प्रदान करने की योग्यता, 2- कारीगरों को प्रशिक्षण और उद्योग स्थापित करने की योग्यता 3-व्यवसाय प्रशासन या प्रबन्धन में स्नातकोत्तर उपाधि।	3	प्राचाये, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	(क) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्रशिक्षक, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा। (ख) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	अनिवाये अर्हता- 1-स्नातक उपाधि, 2-सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं में प्रबन्धन या प्रशासन का पांच वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हता- 1- उद्यमियों को प्रशिक्षण और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र के संगठित करने और स्थापित करने में मार्गदर्शन प्रदान करने की योग्यता, 2- कारीगरों को प्रशिक्षण और उद्योग स्थापित करने की योग्यता 3-व्यवसाय प्रशासन या प्रबन्धन में स्नातकोत्तर उपाधि।
4	मुख्य रसायनज्ञ	मौलिक रूप से नियुक्त रसायनज्ञों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		4	मुख्य रसायनज्ञ	मौलिक रूप से नियुक्त रसायनज्ञों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
5	औद्योगिक परामर्शदाता	सीधी भर्ती द्वारा	1-स्नातक उपाधि, 2-सम्बन्धित विशिष्टता के क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर पर डिजाइनिंग, उत्पादन, परामर्श, अनुसंधान विकास और उत्पादन कार्य में मार्गदर्शन एवं उद्योगों की स्थापना में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव।	5		निकाल दिया गया	
समूह-"ख" के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग				समूह-"ख" के पद (क) प्रशासनिक संवर्ग			
1	विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर)	सीधी भर्ती द्वारा	1-किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2-कम्प्यूटर कार्य का एक वर्ष का अनुभव।	1	विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर)	सीधी भर्ती द्वारा	1-किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि अथवा 1- गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2-कम्प्यूटर कार्य का एक वर्ष का अनुभव

1	2	3	4	1	2	3	4
						(1) प्रशासनिक अधिकारी (लिपिकीय संवर्ग) द्वारा एक, तथा (2) गुड़ विकास अधिकारी, ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 द्वारा एक पद से अधिक पदों को धारित नहीं किया जायेगा।	
4	सह निबन्धक (सहकारिता)	मौलिक रूप से नियुक्त प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम) (सहकारिता प्रशिक्षित) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		4	सहायक निबन्धक (सहकारिता)	मौलिक रूप से नियुक्त प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) / ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम), जो स्नातक उपाधि धारित करते हों, तथा जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
(ख) लेखा संवर्ग				(ख) लेखा संवर्ग			
	सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखा अधिकारी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।			सहायक वित्तीय नियंत्रक उद्योग	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखा अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
(ग) प्रयोगशाला संवर्ग				(ग) प्रयोगशाला संवर्ग			
	रसायनज्ञ	सीधी भर्ती द्वारा	अनिवार्य योग्यता—(क) कार्बनिक रसायन विज्ञान के साथ परास्नातक उपाधि, (ख) किसी भी प्रयोगशाला में तीन वर्ष का रसायनिक विश्लेषण (खाद्य पदार्थ जैसे शहद, तेल, मसाले आदि) के अनुभव को वरीयता। 1—गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण, 2—रासायनिक विश्लेषण में 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव		रसायनज्ञ	सीधी भर्ती द्वारा	अनिवार्य अर्हता— 1—कार्बनिक रसायन विज्ञान में एम0एस0सी0 2—किसी प्रयोगशाला में न्यूनतम तीन वर्ष का रसायनिक विश्लेषण (खाद्य पदार्थ यथा शहद, तेल, मसाले आदि) में अनुभव। वरीयता— (1) गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण (2) रासायनिक विश्लेषण में पांच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव

1	2	3	4	1	2	3	4
(क) प्रशासनिक संवर्ग				(क) प्रशासनिक संवर्ग			
1	प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) / ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम)	(क) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ग्रामोद्योग अधिकारी श्रेणी (2) और कार्यालय अधीक्षक (प्रथम), वैयक्तिक सहायक, प्रदर्शनी अधिकारी, कारबारी व्यवस्थापक, आफिसर इंचार्ज (प्रशिक्षण एवं लेखा), क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (लेखा) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	(क) स्नातक उपाधि, (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग या इससे प्रायोजित संस्थाओं से खादी ग्रामोद्योग का 10 मास का प्रशिक्षण।	1	प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) / ग्रामोद्योग अधिकारी (प्रथम)	(क) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ग्रामोद्योग अधिकारी (द्वितीय), सहायक विकास अधिकारी (प्रथम), ज्येष्ठ औद्योगिक सहकारी निरीक्षक, उत्पादन अधीक्षक (हस्त निर्मित कागज-कालपी), व्यवस्थापक (कम्बल) क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (चर्म), प्रदर्शनी अधिकारी, कारबारी व्यवस्थापक, प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं लेखा), जो स्नातक उपाधि धारित करते हों तथा जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किस्सी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता। अधिमानी अर्हता-व्यवसाय प्रपासन में स्नातकोत्तर उपाधि।
(ख) प्रशिक्षक संवर्ग				(ख) प्रशिक्षक संवर्ग			
1	प्रशिक्षक (खादी)	सीधी भर्ती द्वारा	1-स्नातक उपाधि, 2-खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	1.	प्रशिक्षक (खादी)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0 / बी0ई0 टेक्सटाइल इंजीनियरिंग
2	प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन)	सीधी भर्ती द्वारा	1-विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2-खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	2	प्रशिक्षक (अखाद्य तेल एवं साबुन)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0 / बी0ई0 केमिकल इंजीनियरिंग
3	प्रशिक्षक (रेशा)	सीधी भर्ती द्वारा	1-विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2-खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	3	प्रशिक्षक (रेशा)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0 / बी0ई0 डिजाइन डेवलपमेन्ट और उत्पाद विकास अथवा डिजाइन डेवलपमेन्ट (निपट / सिड) में स्नातक उपाधि

1	2	3	4	1	2	3	4
4	प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल)	सीधी भर्ती द्वारा	1—विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2—खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	4	प्रशिक्षक (ग्रामीण तेल)	सीधी भर्ती द्वारा	बी०टेक०/बी०ई० फूड टेक्नोलॉजी अथवा एम०एस०सी० फूड टेक्नोलॉजी
5	प्रशिक्षक (मधुमक्खी पालन)	सीधी भर्ती द्वारा	1—जीव विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि या कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	5	प्रशिक्षक (मधुमक्खी पालन)	सीधी भर्ती द्वारा	एम०एस०सी० कीट विज्ञान
6	प्रशिक्षक (कुम्हारी)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि, 2—खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में संगठक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से सिरेमिक ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	6	प्रशिक्षक (कुम्हारी)	सीधी भर्ती द्वारा	ललित कला में स्नातक और ललित कला में एम०ए० उपाधि धारक को अधिमान प्रदान किया जायेगा
7	प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती)	सीधी भर्ती द्वारा	1—रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्थान से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	7	प्रशिक्षक (माचिस एवं अगरबत्ती)	सीधी भर्ती द्वारा	बी०टेक०/बी०ई० केमिकल इंजीनियरिंग

1	2	3	4	1	2	3	4
8	प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	8	प्रशिक्षक (अनाज, फसल और दाल प्रसंस्करण)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0/बी0ई0 फूड टेक्नोलॉजी अथवा फूड टेक्नोलॉजी में एम0एस0सी0
9	प्रशिक्षक (लोहारी/ बढ़ईगीरी)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्थाओं से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान अथवा पालीटेक्निक से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	9	प्रशिक्षक (लोहारी/ बढ़ईगीरी)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0/बी0ई0 मैकेनिकल इंजीनियरिंग
10	प्रशिक्षक (खाद्य संरक्षण)	सीधी भर्ती द्वारा	1—विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्था से ट्रेड में 6 माह का प्रशिक्षण अथवा राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री/ डिप्लोमा।	10	प्रशिक्षक (खाद्य संरक्षण)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0/बी0ई0 फूड टेक्नोलॉजी अथवा फूड टेक्नोलॉजी में एम0एस0सी0
11	प्रशिक्षक (बांस और बेंत)	सीधी भर्ती द्वारा	1—विज्ञान में स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्था से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	11	प्रशिक्षक (बांस और बेंत)	सीधी भर्ती द्वारा	उत्पाद विकास (निड अथवा निपट) में स्नातक
12	प्रशिक्षक (कम्बल)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्था से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	12	प्रशिक्षक (कम्बल)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0/बी0ई0 टेक्सटाइल इंजीनियरिंग

1	2	3	4	1	2	3	4
13	प्रशिक्षक (चर्म)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि, 2—खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्था से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	13.	प्रशिक्षक (चर्म)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0/बी0ई0 (लेदर टेक्नोलॉजी)
14	प्रशिक्षक (हाथ कागज)	सीधी भर्ती द्वारा	1—स्नातक उपाधि, 2— खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित संस्था से ट्रेड में पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित या राजकीय संस्थान से ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा।	14.	प्रशिक्षक (हस्त निर्मित कागज)	सीधी भर्ती द्वारा	बी0टेक0/बी0ई0 (पल्प एण्ड पेपर टेक्नोलॉजी)
(ग) ताड़गुड़ संवर्ग				(ग) गुड़ /ताड़गुड़ संवर्ग			
	(एक) गुड़ विकास अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुड़) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		(एक)	गुड़ विकास अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (गुड़), जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
	(दो) ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त शोध रसायनज्ञ (ताड़ उत्पाद) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।		(दो)	ताड़ उत्पाद विकास अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त शोध रसायनज्ञों (ताड़ उत्पाद), जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	
(घ) लेखा संवर्ग				(घ) लेखा संवर्ग			
	सहायक लेखा अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (लेखा) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।			सहायक लेखा अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा।	

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 412/LXI-1-2021, dated October 25, 2021:

No. 412/LXI-1-2021

Dated Lucknow, October 25, 2021

IN exercise of the powers under section 37 read with sub section (2) of section 10 of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960 (U.P. Act no. 10 of 1960) and with the previous sanction of the State Government, the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board, hereby makes the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Group "A" and "B") Service Regulations, 2005.

**UTTAR PRADESH KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD
(GROUP "A" AND "B") SERVICE (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021**

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Group "A" and "B") Service (Second Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come in to force at once.

Amendment of regulation 3

2. In the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board (Group "A" and "B") Service Regulations 2005, hereinafter referred to as the "said regulations", in regulation 3, *after* clause (e.), the following new clause shall be *inserted*, namely:-

"(ee) "commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission."

Amendment of regulation 6

3. In the said regulations *for* regulation 6 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

Existing regulation

6. Reservation.- Reservation for candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

COLUMN-2

Regulation as hereby substituted

6. Reservation.- The Reservation for candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories shall be in accordance with the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993. Reservation for Economically Weaker Section shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment."

Amendment of regulation 10

4. In the said regulations for regulation 10 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1

Existing regulation

10. Age- A candidate for direct recruitment to the various posts in the Service must have attained the minimum age of twenty one years and must not have attained the age of more than thirty five years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January to June 30 and on July 1, if the posts are advertised during the period July 1 to December 31:

COLUMN-2

Regulation as hereby substituted

10. Age- A candidate for direct recruitment to the various posts in the Service must have attained the minimum age of twenty one years and must not have attained the age of more than forty years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1, if the posts are advertised during the period July 1 to December 31:

COLUMN-1

Existing regulation

Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

COLUMN-2

Regulation as hereby substituted

Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified

5. In the said regulations for regulation 14 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

Amendment of regulation 14

COLUMN-1

Existing regulation

14. Determination of Vacancies- The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year, as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others categories under regulation 6". Appointing authority shall advertise the vacancies to be filled by direct recruitment in two leading newspapers.

COLUMN-2

Regulation as hereby substituted

14. Determination of Vacancies- The appointing authority shall determine and intimate to the commission the numbers of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to schedule castes, Scheduled tribes and others categories under regulation 6".

6. In the said regulations for regulation 15 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

Amendment of regulation 15

COLUMN-1

Existing regulation

15. Procedure for Direct recruitment-

(1) For the purpose of direct recruitment to a post in the service there shall be constituted a Selection Committee comprising—

(i) The Chief Executive Officer ...Chairman

(ii) An officer belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes nominated by the appointing authority, if the appointing authority or his nominee does not belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the appointing authority or his nominee belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes to be nominated by the appointing authority.Member

(iii) Two officers nominated by the appointing authority of whom one shall be an officer belonging to Minority Community and the other belonging to Backward Classes.Member

COLUMN-2

Regulation as hereby substituted

15. Procedure for Direct recruitment- (1)

Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the commission in the prescribed proforma published in the advertisement issued by the commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of the admission issued by the commission.

(3) After result of the written examination have been received and tabulated, the commission shall having regard to the need of securing due representation of the candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and others under regulation 6, summon for interview such numbers of candidates as on the result of written examination have come up to the standard fixed by the commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

<u>COLUMN-1</u> <i>Existing regulation</i>	<u>COLUMN-2</u> <i>Regulation as hereby substituted</i>
<p>(iv) Officer-in-charge of the establishmentMember</p> <p>(v) One technical officer nominated by the appointing authorityMember</p> <p>(vi) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in personal Department or his nominee not below the rank of Deputy SecretaryMember</p> <p>(vii) One representative of State Office of Khadi and Village Industries CommissionMember</p> <p>(2) The Selection Committee shall scrutinise the applications and required the eligible candidates to appear in a competitive examination.</p> <p>(3) Written examination will be objective type. This written examination will include subject papers of General Hindi, General knowledge and General Studies. In this examination question papers will be provided in two copies (One Carbon Copy) to the candidates so that candidate can retain one copy of the papers. Negative Marking system will be adopted to avoid the guess works. In order to ensure transparency in the selection procedure answer sheets of question paper and secured-marks by the candidates will be advertised in the newspapers and also will be displayed at Notice Boards.</p> <p>Since written examination will be conducted so, no extra marks will be given for higher qualification other than required for the particular post. Accordingly division of the marks for the selection will be as hereunder—</p> <p>(i) 30% marks for total marks obtained by the candidate at minimum required qualification's examination level (for eg- Intermediate).</p> <p>(ii) 40% marks for written examination (objective type).</p> <p>(iii) Maximum 15% marks will be allocated for retrenched employee, their marks will be calculated as 5 marks for one year of complete service. For example if one employee (retrenched) served continuously for one year he will get 5 marks and if he served continuously for two years then he will be get 10 marks.</p>	<p>(4) The commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidate obtained equal marks in the aggregate, the names of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be equal to the number of vacancies. The commission shall forward the list to the appointing authority.</p>

COLUMN-1

Existing regulation

(iv) 5% marks for sports will be allotted in the following way:

(a) For International level sportsmen/Women- 5% marks

(b) For National level sportsmen/ women – 4% marks

(c) For State level sportsman/ woman – 3% marks.

(d) For University/Post Graduate College/College level sportsman/women – 2% marks

(v) 10% marks will be allocated for interview, which will be divided as following-

(a) 4% marks for Subject/ General Knowledge.

(b) 3% marks for personality.

(c) 3% marks for expression power.

(vi) After written examination a merit list will be prepared for the marks secured by the candidate from I to IV above mentioned points, then on the basis of merit list four candidates will be called for the interview for each vacant post.

(vii) During interview of the candidates each member of the Interview Committee including Chairman of the Committee will allocate the marks based on above categorization. Total marks obtained in interview will be calculated by adding the separate marks given by the Committee Members. Marks, obtained in qualifying examinations by candidate will not be provided to the Interview Committee to avoid preconception about the candidate.

(viii) After Interview, but before declaration of results the marks obtained by the candidates in written examination and interview will be displayed on the Notice Board.

(2) If any candidate wants to look into selection procedure's documents and obtained marks he can go through by depositing required fee. In case any candidate wants photocopy of the documents, he can get that by depositing Rs.5/- per copy.

COLUMN-2

Regulation as hereby substituted

	<u>COLUMN-1</u> <i>Existing regulation</i>	<u>COLUMN-2</u> <i>Regulation as hereby substituted</i>
Amendment of regulation 20	<p>(4) (i) If two or more than two candidates get equal marks, then Selection Committee will prepare merit list according to their date of birth.</p> <p>(ii) Waiting list will have the total names (25% of total Vacancies) according to merit list. Selection Committee will forward the list of selected candidate's to the appointing authority.</p> <p>7. In the said regulations <i>after</i> regulation 20, the following proviso shall be <i>inserted</i>, namely :-</p> <p>"Provided that subject to the above provisions, the Uttar Pradesh State Government Servant Confirmation Rules, 1991, as amended from time to time, shall also <i>mutatis mutandis</i> apply to a person who is substantively appointed on such post".</p>	
Amendment of regulation 21	<p>8. In the said regulations <i>for</i> regulation 21 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be <i>substituted</i>, namely:-</p>	

<u>COLUMN-1</u> <i>Existing regulation</i>	<u>COLUMN-2</u> <i>Regulation as hereby substituted</i>
<p>21. Seniority.- (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons appointed in any category of post in the service shall be determined from the date of the order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by the order in which their names are arranged in the appointment order:</p> <p>Provided that if the appointment order specified a particular back date with effect from which a person is substantively appointed that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and in other cases it will mean the date of issue of the order:</p> <p>Provided further that if more than one order of appointments are issued in respect of any one selection, the seniority shall be as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-regulation (2) of regulation 18.</p> <p>(2) The seniority <i>inter se</i> of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee:</p> <p>Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reason shall be final.</p>	<p>21. Seniority: The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.</p>

COLUMN-1

Existing regulation

(3) The seniority *inter se* of persons appointed by promotion on the result of any one selection shall be the same as it was in the cadre in which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one sources and the respective quota of the sources is prescribed, the *inter se* seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with regulation 17 in such manner that the prescribed percentage is maintained:

Provided that-

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority to subsequent year or year in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointment from any source fall short of the prescribed quota and appointment against such unfilled vacancies are made in subsequent year of years the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year to prepared under this regulation, their names shall be placed at the top followed the names, in the cyclic order of the other appointees.

9. In the said regulations for regulation 24 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

Amendment of regulation 24

COLUMN-1

Existing regulation

24. Criteria for crossing efficiency bar. - (1) No person shall be allowed to cross efficiency bar unless his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

COLUMN-2

Regulation as hereby substituted

Omitted

10. In the said regulations for existing Appendix 'A' set out in Column-1 below, the Appendix as set out in Column-2, shall be *substituted*, namely:-

Amendment of Appendix 'A'

APPENDIX-A
(See Regulations 4 and 22)

COLUMN NO.-1							COLUMN NO.-2						
Existing Appendix							Appendix as hereby substituted						
Sl. No.	Name of Post	Scale of Pay	No. of Post			Appointing Authority	Sl. No.	Name of Post	Pay Matrix	No. of Post			Appointing Authority
			Perma- nent	Tempo- rary	Total					Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
GROUP "A" POST-							GROUP "A" POST-						
1	Senior Joint Chief Executive Officer	Rs.12000-375-16500	0	1	1	Board	1	Senior Joint Chief Executive Officer	Rs. 78800-209200 (Level-12)	0	1	1	Board
2	(i) Deputy Chief Executive Officer	Rs. 10000-325-15200	1	3	4	Board	2	(I) Deputy Chief Executive Officer	Rs. 67700-208700 (Level-11)	1	4	5	Board
	(ii) Deputy Chief Executive Officer (Training)	Rs. 10000-325-15200	0	1	1	Board		(II) Deputy Chief Executive Officer (Training)	Rs. 67700-208700 (Level-11)	0	1	1	Board
	(iii) Deputy Chief Executive Officer (Marketing)	Rs. 10000-325-15200	0	1	1	Board		(III) Deputy Chief Executive Officer (Marketing)	Rs. 67700-208700 (Level-11)	0	1	1	Board
3	Principal Regional Training Centre	Rs. 10000-325-15200	0	3	3	Board	3	Principal Regional Training Centre	Rs. 67700-208700 (Level-11)	0	3	3	Board
4	Chief Chemist	Rs. 10000-325-15200	0	2	2	Board	4	Chief Chemist	Rs. 67700-208700 (Level-11)	0	2	2	Board
5	Industrial Advisor	Rs. 5000/Consolidated	0	2	2	Board	5	<i>Omitted</i>					
GROUP "B" POST-							GROUP "B" POST-						
(A)Administrative Cadre:							(A)Administrative Cadre:						
1.	Officer on Special Duty (Computer)	Rs.8000-275-13500	0	1	1	Chief Executive Officer	1.	Officer on Special Duty (Computer)	Rs. 56100-177500 (Level-10)	0	1	1	Chief Executive Officer
2.	(i) Assistant Director of Industries (Khadi Development)	Rs.8000-275-13500	1	0	1	Chief Executive Officer	2.	(i) Assistant Director of Industries (Khadi Development)	Rs. 56100-177500 (Level-10)	1	0	1	Chief Executive Officer
	(ii) Assistant Director of Industries (Blanket Scheme)	Rs.8000-275-13500	1	0	1	Chief Executive Officer		(ii) Assistant Director of Industries (Blanket Scheme)	Rs. 56100-177500 (Level-10)	1	0	1	Chief Executive Officer
	(ii) Assistant Director of Industries (Leather Development Scheme)	Rs.8000-275-13500	1	0	1	Chief Executive Officer		(ii) Assistant Director of Industries (Leather Development Scheme)	Rs. 56100-177500 (Level-10)	1	0	1	Chief Executive Officer
	(iv) Assistant Director of Industries (Handmade Paper Scheme)	Rs.8000-275-13500	1	0	1	Chief Executive Officer		(iv) Assistant Director of Industries (Handmade Paper Scheme)	Rs. 56100-177500 (Level-10)	1	0	1	Chief Executive Officer

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
3.	Senior Manager	Rs.8000-275-13500	0	12	12	Chief Executive Officer	3.	Senior Manager	Rs. 56100-177500 (Level-10)	0	12	12	Chief Executive Officer
4.	Assistant Registrar (Co-operative)	Rs.8000-275-13500	1	0	1	Chief Executive Officer	4.	Assistant Registrar (Co-operative)	Rs. 56100-177500 (Level-10)	1	0	1	Chief Executive Officer
(B) Accounts Cadre:							(B) Accounts Cadre:						
	Assistant Financial Controller of Industries	Rs.8000-275-13500	1	0	1	Chief Executive Officer		Assistant Financial Controller (Industries)	Rs. 56100-177500 (Level-10)	1	0	1	Chief Executive Officer
(C) Laboratory Cadre:							(C) Laboratory Cadre:						
	Chemist	Rs.8000-275-13500	0	2	2	Chief Executive Officer		Chemist	Rs. 56100-177500 (Level-10)	0	2	2	Chief Executive Officer
SUBORDINATE GROUP "B" POSTS							SUBORDINATE GROUP "B" POSTS						
(A) Administrative Cadre :							(A) Administrative Cadre :						
	Manager [Khadi and Village Industries/ Village Industries Officer Grade- (I)]	Rs.6500-200-10500	3	36	39	Chief Executive Officer		Manager (Khadi and Village Industries/ Village Industries Officer (I))	Rs. 44900-142400 (Level-7)	3	36	39	Chief Executive Officer
(B) Prashikshak Cadre:							(B) Prashikshak Cadre:						
	(i) Prashikshak (Khadi)	Rs.6500-200-10500	0	7	7	Chief Executive Officer		(i) Prashikshak (Khadi)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	7	7	Chief Executive Officer
	(ii) Prashikshak (Non Edible Oil and Soap)	Rs.6500-200-10500	0	6	6	Chief Executive Officer		(ii) Prashikshak (Non Edible Oil and Soap)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	6	6	Chief Executive Officer
	(iii) Prashikshak (Fibre)	Rs.6500-200-10500	0	3	3	Chief Executive Officer		(iii) Prashikshak (Fibre)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	3	3	Chief Executive Officer
	(iv) Prashikshak (Village Oil)	Rs.6500-200-10500	0	6	6	Chief Executive Officer		(iv) Prashikshak (Village Oil)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	6	6	Chief Executive Officer
	(v) Prashikshak (Bee Keeping)	Rs.6500-200-10500	0	7	7	Chief Executive Officer		(v) Prashikshak (Bee Keeping)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	7	7	Chief Executive Officer
	(vi) Prashikshak (Pottery)	Rs.6500-200-10500	0	2	2	Chief Executive Officer		(vi) Prashikshak (Pottery)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	2	2	Chief Executive Officer
	(vii) Prashikshak (Match and Agarbatti)	Rs.6500-200-10500	0	3	3	Chief Executive Officer		(vii) Prashikshak (Match and Agarbatti)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	3	3	Chief Executive Officer
	(viii) Prashikshak (Processing of Cereal Crops and Pulses)	Rs.6500-200-10500	0	3	3	Chief Executive Officer		(viii) Prashikshak (Processing of Cereal Crops and Pulses)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	3	3	Chief Executive Officer
	(ix) Prashikshak (Blacksmithy and Carpentry)	Rs.6500-200-10500	0	3	3	Chief Executive Officer		(ix) Prashikshak (Blacksmithy and Carpentry)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	3	3	Chief Executive Officer
	(x) Prashikshak (Food Preservation)	Rs.6500-200-10500	0	2	2	Chief Executive Officer		(x) Prashikshak (Food Preservation)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	2	2	Chief Executive Officer
	(xi) Prashikshak (Bamboo and Cane)	Rs.6500-200-10500	0	1	1	Chief Executive Officer		(xi) Prashikshak (Bamboo and Cane)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	1	1	Chief Executive Officer

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	(xii) Prashikshak (Blanket)	Rs.6500-200-10500	0	1	1	Chief Executive Officer		(xii) Prashikshak (Blanket)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	1	1	Chief Executive Officer
	(xiii) Prashikshak (Leather)	Rs.6500-200-10500	0	1	1	Chief Executive Officer		(xiii) Prashikshak (Leather)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	1	1	Chief Executive Officer
	(xiv) Prashikshak (Hand Made Paper)	Rs.6500-200-10500	0	1	1	Chief Executive Officer		(xiv) Prashikshak (Hand Made Paper)	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	1	1	Chief Executive Officer
(C) Palm Gur Cadre:							(C)Gur/ Palm Gur Cadre:						
	(1) Gur Development Officer	Rs.6500-200-10500	1	0	1	Chief Executive Officer		(1) Gur Development Officer	Rs. 44900-142400 (Level-7)	1	0	1	Chief Executive Officer
	(2) Palm Product Development Officer	Rs.6500-200-10500	1	0	1	Chief Executive Officer		(2) Palm Product Development Officer	Rs. 44900-142400 (Level-7)	1	0	1	Chief Executive Officer
(D) Account Cadre:							(D) Accounts Cadre:						
	Assistant Accounts Officer	Rs.6500-200-10500	0	2	2	Chief Executive Officer	1	Assistant Accounts Officer	Rs. 44900-142400 (Level-7)	0	2	2	Chief Executive Officer

10. In the said regulations for existing Appendix 'B' set out in Column-1 below, the Appendix as set out in Column-2, shall be *substituted*, namely:-

Amendment of Appendix 'B'

APPENDIX-B

(See Regulations 5 and 8)

COLUMN-1				COLUMN-2			
Existing Appendix				Appendix as hereby substituted			
Sl. No.	Name of Post	Source of Recruitment	Academic Qualification for Direct Recruitment	Sl. No.	Name of Post	Source of Recruitment	Academic Qualification for Direct Recruitment
1	2	3	4	1	2	3	4
GROUP 'A'				GROUP 'A'			
(1)	Senior Joint Chief Executive Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Chief Chemist Deputy Chief Executive Officer who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.		(1)	Senior Joint Chief Executive Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Chief Chemist Deputy Chief Executive Officer who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.	
(2)	(i) Deputy Chief Executive Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Senior Managers Assistant Financial Controller of Industries and Assistant Directors of Industries, Assistant Registrar (Co-operative) Officer on Special Duty (Computer) who have completed three years service, as such on the first day of the year of recruitment.		(2)	(i) Deputy Chief Executive Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Senior Managers Assistant Financial Controller of Industries and Assistant Directors of Industries, Assistant Registrar (Co-operative) and Officer on Special Duty (Computer) who have completed three years service, as such on the first day of the year of recruitment.	

1	2	3	4	1	2	3	4
	(ii) Deputy Chief Executive Officer (Training).	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Principals Regional Training Centre.			(ii) Deputy Chief Executive Officer (Training).	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Principals Regional Training Centre.	
	(iii) Deputy Chief Executive Officer (Marketing).	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Senior Manager and Assistant Director Industries, who have completed three years service. as such on the first day of the year of recruitment..			(ii) Deputy Chief Executive Officer (Marketing).	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Senior Manager and Assistant Director of Industries, who have completed three years service. as such on the first day of the year of recruitment.	
(3)	Principal Regional Training Centre.	(A) Fifty percent by Promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Prashikshak, who have completed five years services. as such on the first day of the year of recruitment. (B) Fifty per cent by Direct recruitment.	(B) Essential Qualification: 1. Bachelor's Degree. 2. Five years experience of Management (or) Administration of Government/Semi-Government Institution. Preferential Qualification: 1. Ability to provide training to entrepreneurs and guidance in organising and establishing of Village Industries Training Centres. 2. Ability to train Artisans and of establishing Industry. 3. Master Degree in Business Administration or Management.	(3)	Principal Regional Training Centre.	(B) Fifty percent by Promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Prashikshak, who have completed five years services. as such on the first day of the year of recruitment. (B) Fifty percent by Direct recruitment.	(B) Essential Qualification: 1. Bachelor's Degree. 2. Five years experience of Management (or) Administration of Government/Semi-Government Institution. Preferential Qualification: 1. Ability to provide training to entrepreneurs and guidance in organising and establishing of Village Industries Training Centers. 2. Ability to train Artisans and of establishing Industry. 3 Master Degree in Business Administration or Management.

1	2	3	4	1	2	3	4
(4)	Chief Chemist	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Chemist who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.		(4)	Chief Chemist	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Chemist who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	
(5)	Industrial Advisor	By Direct Recruitment.	1. Bachelor's Degree. 2. Minimum ten years experience in Executive Capacity in Designing. Production. Consultancy Research Development and Guidance in the production and the establishment of Industry in the concerned field of specialization.	(5)	Omitted		
GROUP 'B' POSTS: (A) Administrative Cadre:				GROUP 'B' POSTS: (A) Administrative Cadre:			
(1)	Officer on Special Duty (Computer)	By Direct Recruitment.	Graduation degree in computer Engineering from recognised Government Institute. or 1. First Class Post Graduate Degree in Maths and one year Post Graduate Diploma in Computer Science from a recognised institute. 2. One Year Experience in Computer Work.	(1)	Officer on Special Duty (Computer)	By Direct Recruitment.	Graduation degree in computer Engineering from recognised Government Institute. or 1. First Class Post Graduate Degree in Math and one year Post Graduate Diploma in Computer Science from a recognised institute. 2. One Year Experience in Computer Work.
(2)	(i) Assistant Director of Industries (Khadi and Village Development)	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Managers (Khadi and village Industries)/ Village Industries Officers (Grade I). Who have completed three years service, as such on the first day of the year of recruitment.		(2)	(i) Assistant Director of Industries (Khadi Development)	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Managers (Khadi and Village Industries)/Village Industries Officers (I). Who have completed three years service, as such on the first day of the year of recruitment.	

1	2	3	4	1	2	3	4
	(ii) Assistant Director of Industries (Blanket Scheme)	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Prashikshak (Blanket) and Manager (Blanket). Who have completed three years service, as such on the first day of the year of recruitment.		(2)	(ii) Assistant Director of Industries (Blanket Scheme)	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Prashikshak (Blanket) and Manager (Khadi and Village Industries)/ Village Industries Officers (I). Who possess a Bachelor Degree and have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	
	(iii) Assistant Director of Industries (Leather Development Scheme)	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Prashikshak (Leather and Divisional Superintendent of Industries (Leather). Who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.			(iii) Assistant Director of Industries (Leather Development Scheme)	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Prashikshak (Leather), Manager (Khadi and Village Industries)/ Village Industries Officers (I). who possess a Bachelor Degree and have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	
	(iv) Assistant Director of Industries (Hand Made Paper)	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Prashikshak (Hand Made Paper) and Superintendent of Production (Kalpi Hand Made Paper). Who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.			(iv) Assistant Director of Industries (Hand Made Paper)	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Prashikshak (Hand Made Paper) and Manager (Khadi and Village Industries)/ Village Industries Officers (I). who possess a Bachelor Degree and have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	
(3)	Senior Manager	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Manager (Khadi and Village Industries)/Village Industries Officer (I), Gur Development Officer and Palm Product Development Officer, who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.		(3)	Senior Manager	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Manager (Khadi and Village Industries)/ Village Industries Officer (I), Gur Development Officer, Palm Product Development Officer and Administrative Officer (Clerical Cadre), Personal Assistant Grade-I who possess a Bachelor Degree and have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment in such a manner that on appointment of time, not more than-	

1	2	3	4	1	2	3	4
						(1) One post be occupied by Administrative Officer (Clerical Cadre), and , (2) One post be occupied by amongst Gur Development Officer, Palm Product Development Officer and Personal Assistant Grade-I.	
(4)	Assistant Registrar (Co-operative)	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Manager (Khadi and Village Industries) Village Industries Officer (I), (Co-operative Trained) who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.		(4)	Assistant Registrar (Co-operative)	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Manager (Khadi and Village Industries)/Village Industries Officer (I), who posses a Bachelor Degree and have completed three years service on the first day of the year of recruitment.	
(B) Account Cadre :				(B) Accounts Cadre :			
	Assistant Financial Controller of Industries	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Assistant Accounts Officer, who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.			Assistant Financial Controller of Industries	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Assistant Accounts Officer, who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.	
(C) Laboratory Cadre :				(C) Laboratory Cadre :			
	Chemist	By Direct Recruitment	Compulsory Qualification: 1. M.Sc. in Organic Chemistry. 2. At least three years experience in Chemical analysis of edible products like Honey, Oil Spices etc. Priority. 1. Special training in quality control. 2. Experience of five years of more in chemical analysis.		Chemist	By Direct Recruitment	Compulsory Qualification: 1. M.Sc. in Organic Chemistry. 2. At least three years experience in Chemical analysis of edible products like Honey, Oil Spices etc. Priority. 1. Special training in quality control. 2. Experience of five years of more in chemical analysis.

1	2	3	4	1	2	3	4
SUBORDINATE GROUP 'B' POSTS (A) Administrative Cadre :				SUBORDINATE GROUP 'B' POSTS (A) Administrative Cadre :			
(1)	Manager (Khadi and Village Industries) Village Industries Officer Grade (I)	(a) Fifty per cent by direct recruitment (b) Fifty per cent by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Village Industries Officer Grade. (2) Officer Superintendent (I), Personal Assistant, Exhibiting Officer, Business Manager, Officer Incharge (Training and Account), and Divisional Superintendent of Industries (Accounts), who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.	(A) 1. Bachelor's Degree. 2. Ten months Training in Khadi Gramodyog from Khadi and Village Industries Commission or Institutions sponsored by it.	(1)	Manager (Khadi and Village Industries)/ Village Industries Officer (I)	(a) Fifty per cent by direct recruitment (b) Fifty per cent by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Village Industries Officer -II, Assistant Development Officer-I, Senior Industrial Cooperative Inspector, Superintendent of Production (Kalpi Hand Made Paper), Manager (Blanket), Divisional Superintendent of Industries (Leather), Exhibiting Officer, Business Manager, Officer Incharge (Training and Account), who possess Bachelor Degree and have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	A Bachelors Degree from a University established by Law in India or a Qualification recognised by the Government as equivalent there to Preferential Qualification : Post Graduate Degree in Business Administration
(B) Prashikshak Cadre :				(B) Prashikshak Cadre :			
(1)	Prashikshak (Khadi)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree 2. Trained in Supervisory Course in Trade from Industries Sponsored by Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	(1)	Prashikshak (Khadi)	By Direct recruitment	B.Tech./B.E. Textile Engineering
(2)	Prashikshak (Non Edible Oil and Soap)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree in Science 2. Trained in Supervisory Course from Sponsored Institution of Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	(2)	Prashikshak (Non Adible Oil and Soap)	By Direct recruitment	B.Tech./B.E. Chemical Engineering

1	2	3	4	1	2	3	4
(3)	Prashikshak (Fibre)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree in Science 2. Trained in Supervisory Course from Sponsored Institution of Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	(3)	Prashikshak (Fibre)	By Direct recruitment	B.Tech./B.E. Designed Development, Bachelor Degree in Product Development or Designed Development (NIFT/SID)
(4)	Prashikshak (Village Oil)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree in Science 2. Trained in Supervisory Course from Sponsored Institution of Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	(4)	Prashikshak (Village Oil)	By Direct recruitment	B.Tech./B.E. Food Technology or M.Sc. Food Technology.
(5)	Prashikshak (Bee Keeping)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree in Science with Biology or Bachelor's Degree in Agriculture Science. 2. Trained in Supervisory Course from Sponsored Institution of Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	(5)	Prashikshak (Bee Keeping)	By Direct recruitment	M.Sc. Inset Science
(6)	Prashikshak (Pottery)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree 2. Trained in Organiser course in Trade from Sponsored Institution of Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Ceramic Trade from a Government Institute.	(6)	Prashikshak (Pottery)	By Direct recruitment	Bachelor in Fine Art Preference of M.A. Degree in Fine Art.

1	2	3	4	1	2	3	4
(7)	Prashikshak (Match and Agarbatti)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree in Science with Chemistry. 2. Trained in Supervisory Course in trade from Sponsored Institution of Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	(7)	Prashikshak (Match and Agarbatti)	By Direct recruitment	B.Tech/B.E. Chemical Engineering.
(8)	Prashikshak (Processing of Cereal Crops and Pulses)	By Direct recruitment	1. Bachelors Degree . 2. Trained in Supervisory Course in trade from Sponsored Institution of Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	(8)	Prashikshak (Processing of Cereal Crops and Pulses)	By Direct recruitment	B.Tech/B.E. Food Technology or M.Sc. in Food Technology.
(9)	Prashikshak (Blacksmithy and Carpentry)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree . 2. Trained in Supervisory Course in trade from Sponsored Institution of Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute or Polytechnic.	(9)	Prashikshak (Blacksmithy and Carpentry)	By Direct recruitment	B.Tech/B.E. Mechanical Engineering.
10	Prashikshak (Food Preservation)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree in Science. 2. Six month training in Trade from Sponsored Institution of Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	10	Prashikshak (Food Preservation)	By Direct recruitment	B.Tech/B.E. Food Technology or M.Sc. in Food Technology.

1	2	3	4	1	2	3	4
11	Prashikshak (Bamboo and Cane)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree in Science. 2. Trained in Supervisory Course in trade from Institution sponsored by Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	11	Prashikshak (Bamboo and Cane)	By Direct recruitment	Bachelor in Product Development (NID or NIFT).
12	Prashikshak (Blanket)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree. 2. Trained in Supervisory Course in Trade from Institution sponsored by Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	12	Prashikshak (Blanket)	By Direct recruitment	B.Tech/B.E. Textile Engineering.
13	Prashiksha (Leather)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree. 2. Trained in Supervisory Course in Trade from Institution sponsored by Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	13	Prashikshak (Leather)	By Direct recruitment	B.Tech/B.E. (Leather Technology).
14	Prashikshak (Hand Made Paper)	By Direct recruitment	1. Bachelor's Degree . 2. Trained in Supervisory Course in Trade from Institution sponsored by Khadi and Village Commission or Degree or Diploma in Trade from a Government Institute.	14	Prashikshak (Hand Made Paper)	By Direct recruitment	B.Tech/B.E. (Pulp and Paper Technology)
(C) Palm Gur Cadre :				(C) Gur/Palm Gur Cadre :			
(i)	Gur Development Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Divisional Superintendent of Industries (Gur), who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.		(i)	Gur Development Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Divisional Superintendent of Industries (Gur), who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.	

1	2	3	4	1	2	3	4
(ii)	Palm Product Development Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Research Chemist (Palm Product) who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.		(ii)	Palm Product Development Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Research Chemist (Palm Product) who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.	
(D) Accounts Cadre :				(D) Accounts Cadre :			
	Assistant Accounts Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Divisional Superintendent of Industries (Accounts), who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.			Assistant Accounts Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Senior Auditor, who have completed five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	

By order,
NAVNEET SEHGAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 373 राजपत्र-2021-(843)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० खादी एवं ग्रामोद्योग-2021-(844)-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।